बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 12 अंक 246

मौद्रिक नीति की दुविधा

वित्तीय बाजार का अनुमान है कि भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) इस सप्ताह छठी बार नीतिगत रीपो दर में कटौती करेगी। चूंकि चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर घटकर 4.5 फीसदी रह गई है, देश की अर्थव्यवस्था की नॉमिनल वृद्धि दर घटकर 6.1 फीसदी हो गई है और सुधार के कोई संकेत नजर नहीं आ रहे हैं तो नीतिगत दरों में कटौती ही उचित प्रतीत होती है। बहरहाल यह निर्णय लेना इतना आसान नहीं होगा। एमपीसी को कई अन्य मसलों पर ध्यान देना होगा। मौजूदा आर्थिक परिदृश्य दुविधा की एक बड़ी वजह है।

पहली बात, खुदरा मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति की दर के बारे में माना जा रहा है कि वह नवंबर में 5 फीसदी का स्तर पार कर गई और विश्लेषकों के अनुसार आने वाले महीनों में भी यह ऊंचे स्तर पर बनी रहेगी।

यह सच है कि शीर्ष मुद्रास्फीति में इजाफा मोटे तौर पर सब्जियों की कीमत में बढ़ोतरी के चलते हुआ और यह महज कुछ दिनों के लिए हो सकती है। कमजोर मूल मुद्रास्फीति भी यही बताती है। जीडीपी अपस्फीतिकारक और थोकमूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति भी निचले स्तर पर है। परंतु केंद्रीय बैंक का लक्ष्य शीर्ष मुद्रास्फीति को लक्षित करना है और यदि वह वास्तविक नीतिगत दरों को ऋणात्मक दायरे में ले जाना चाहती है तो उसे इस बारे में स्पष्ट रूप से बताना होगा।

यदि खाद्य मुद्रास्फीति लंबी अवधि तक ऊंचे स्तर पर रहती है या उसका सामान्यीकरण होता है (वैश्विक वित्तीय संकट के बाद ऐसा हो चुका है) तो इसका असर केंद्रीय बैंक की विश्वसनीयता पर पड़ेगा और मुद्रास्फीति के अनुमानों का प्रबंधन और मुश्किल हो जाएगा।

दूसरा, मौजूदा वित्त वर्ष में केंद्रीय बैंक ने राजकोषीय प्रबंधन में सरकार की बात सुनी है। इसे बदलना होगा। राजस्व की स्थिति को देखते हुए इस बात की संभावना बहुत कम है कि सरकार चालू वित्त वर्ष के लिए तय जीडीपी के 3.3 फीसदी के राजकोषीय लक्ष्य को हासिल कर पाएगी। यदि सरकार कुछ देनदारी सरकारी उपक्रमों की ओर स्थानांतरित भी करती है तो भी समग्र उधारी बढ़ेगी। यह आशंका भी है कि इस वर्ष राज्य भी राजकोषीय मोर्चे पर लक्ष्य से पीछे रह जाएं। इसका असर मौद्रिक नीति पर पड़ेगा। सरकार की राजकोषीय स्थिति भी खराब पारेषण की प्रमुख वजह है। उदाहरण के लिए व्यवस्था में पर्याप्त नकदी होने के बावजूद नीतिगत रीपो दर तथा 10 वर्ष के सरकारी बॉन्ड के प्रतिफल का अंतर 130 आधार अंक के बराबर है। आंशिक तौर पर ऐसा इसलिए है क्योंकि बाजार को यकीन नहीं कि सरकार राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को पूरा कर पाएगी।

तीसरा, दिए गए संदर्भ में एमपीसी अगर यह बताए कि एक और बार दरों में कटौती से वह क्या हासिल करना चाहती है तो बेहतर होगा।

दूसरे शब्दों में कहें तो दी गई परिस्थितियों में मौद्रिक नीति के प्रभाव पर सवाल उठाना जरूरी है। भविष्य में दरों की कटौती की संभावना कम होने के कारण पारेषण आसान नहीं रहेगा। क्या एमपीसी को उस स्थिति में मौद्रिक नीति की सीमाओं का ध्यान रखना चाहिए। बहरहाल, दूसरी ओर अगर फिलहाल दरों में कटौती नहीं की गई तो वित्तीय बाजारों में हड़बड़ी आएगी और बॉन्ड प्रतिफल और बढ़ेगा। ऐसे में एमपीसी के सदस्य संतुलन साधते हुए कटौती कर सकते हैं लेकिन केंद्रीय बैंक को इससे जुड़े जोखिम भी साफ बताने चाहिए और इसकी सीमाओं से भी अवगत कराना चाहिए। दरों में कटौती करने से बात खत्म नहीं हो जाती।

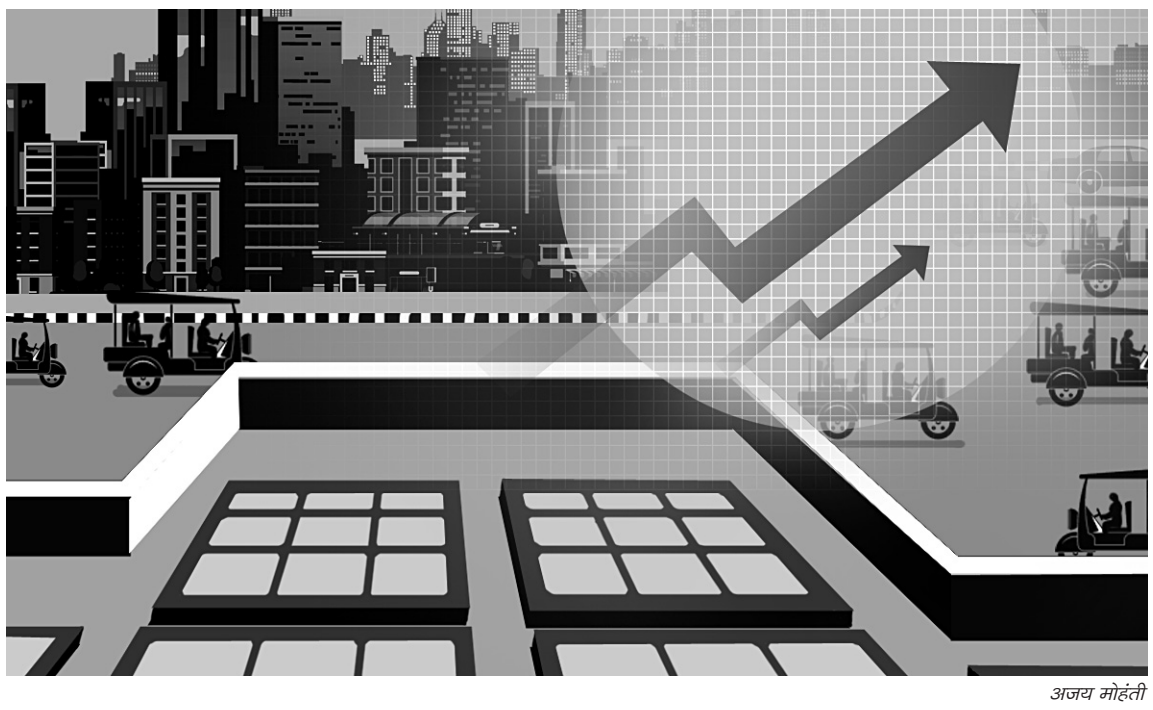

अजय मोहंती

अर्थव्यवस्था में हरित नीति अपनाने से होगा सुधार

देश की अर्थव्यवस्था को ढांचागत सुधारों के रूप में एक बड़े कदम की आवश्यकता है। इसके साथ ही फिलहाल दूसरी पीढ़ी की हरित नीतियों की भी जरूरत महसूस की जा रही है। विस्तार से बता रहे हैं **अरुणाभ घोष**

क्या हरित अर्थव्यवस्था देश की अर्थव्यवस्था को बचा सकती है? वर्ष 2012-13 की चौथी तिमाही के बाद पहली बार 2019-20 की दूसरी तिमाही में वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर 5 फीसदी से नीचे खिसक गई है। सरकारी व्यय, बुनियादी निवेश या उपभोक्ता व्यय से वृद्धि को गति मिल सकती है। परंतु सरकारी व्यय पर राजकोषीय जवाबदेही के नियमों ने अंकुश लगा रखा है। अर्थव्यवस्था को बुनियादी ढांचा क्षेत्र में 1.4 लाख करोड़ रुपये के निवेश की आवश्यकता है, तभी 2024 तक 5 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य हासिल हो सकेगा। परंतु बुनियादी ढांचा क्षेत्र के बकाया भुगतान आदि के कारण निवेश को बरकरार रखना मुश्किल है। उपभोक्ता व्यय 2019-20 की पहली और दूसरी तिमाही के बीच 6.5 फीसदी घटा है।

मौजूदा वृहद आर्थिक दौर में यदि किसी चीज के हरित होने की बात कही जाती है तो यह माना जाता है कि उसके साथ अतिरिक्त लागत जुड़ी होगी। एक दशक पहले जब हरित अर्थव्यवस्था की नीतियां पहली बार प्रभावी हुई थीं तब कई लोग इस पर यकीन करते थे। तब से अब तक भारत ने औद्योगिक क्षेत्र में ऊर्जा किफायत हासिल करने में कामयाबी पाई है, किफायती उपकरण निर्माण की लागत कम की है, हरित इमारतों में इजाफा किया है, जीवाश्म ईंधन सब्सिडी सुधार लागू की, इनकी दरों को न्यूनतम किया और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नेतृत्व क्षमता प्रदर्शित की।

अब अर्थव्यवस्था और हरित अर्थव्यवस्था दोनों की गति में धीमापन आया है। सितंबर में प्रधानमंत्री ने न्यूयार्क में घोषणा की कि नवीकरणीय ऊर्जा की क्षमता को 450 गीगावॉट तक पहुंचाया जाएगा। सन 2022 तक इसे 175 गीगावॉट तक पहुंचाने का लक्ष्य इसलिए हासिल नहीं हो पाएगा क्योंकि अनुबंधों में देरी हुई और विद्युत विक्रय अनुबंधों पर रद्द होने का खतरा मंडराता रहा। केवल अच्छे लक्ष्य तय करने से निवेशक उत्साहित नहीं होते।

ऐसे वक्त में जबकि देश की अर्थव्यवस्था को दूसरी पीढ़ी की हरित नीतियों की आवश्यकता है, देश की अर्थव्यवस्था में ढांचागत सुधारों की आवश्यकता है। दोनों को साथ शुरू करने के लिए चुनिंदा परिस्थितियां आवश्यक हैं। अबाध विकास वाले बाजार, शुरुआती पूंजी निवेश की क्षतिपूर्ति के लिए परिचालन व्यय में कमी, शुद्ध मूल्य वृद्धि के लिए स्वदेशीकरण और सामाजिक और समतामूलक परिस्थितियां। मैं आगामी एक दशक के लिए चार कारक चिह्नित करता हूं।

पहला, वितरित ऊर्जा में मौजूद अवसरों का अब तक लाभ नहीं लिया गया है। रूफटॉप सौर फोटोवॉल्टिक क्षमता करीब 4.3 गीगावॉट है जो 40 गीगावॉट के तय लक्ष्य या उससे अधिक की क्षमता से कम है। वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं के पास थोक क्षमता है और पांच राज्यों महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, गुजरात और कर्नाटक कुल क्षमता का 45 फीसदी पूरा करते हैं। आवासीय उपभोक्ताओं तथा अन्य क्षेत्रों तक विस्तार की काफी गुंजाइश मौजूद है। छत पर नवीकरणीय ऊर्जा उपकरण लगाने से जमीन की बचत भी होती है। परंतु आवासीय उपभोक्ताओं को ऋण के लिए संघर्ष करना पड़ता है। काउंसिल ऑन एनर्जी, एन्वॉयरनमेंट ऐंड वाटर (कीव) ने नया कारोबारी मॉडल विकसित किया है ताकि बिजली वितरण कंपनियां उपभोक्ताओं के साथ सुसंगत बनें और बिजली की लागत में बचत कर सकें। गौरतलब है कि छत पर लगने वाली परियोजना सामान्य सौर परियोजना की तुलना में सात गुना तक अधिक रोजगार तैयार करती है।

दूसरा, गतिशीलता से नई संभावनाएं तैयार होती हैं। रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट और नीति आयोग के मुताबिक सन 2015 से 2030 के बीच देश में वाहनों की तादाद 3.4 से 3.8 गुना तक बढ़ जाएगी। सन 2030 तक वाणिज्यिक कार-जीप और तिपहिया वाहन क्षेत्र में इलेक्ट्रिक व्हीकल का दबदबा हो सकता है। कीव के शोधकर्ताओं का अनुमान है कि यदि सन 2030 तक इलेक्ट्रिक व्हीकल इंजन की लागत के मामले में सामान्य इंजन के समान हो जाता है तो उस समय तक भारत में 2.7 करोड़ इलेक्ट्रिक वाहन होंगे। हमारा अध्ययन बताता है कि सन 2030 में प्रति वाहन कार्बन डाइ ऑक्साइड उत्सर्जन 2 फीसदी से 16 फीसदी कम होगा। एक अन्य सर्वेक्षण में शामिल 37 फीसदी लोगों ने सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल किया और औसतन 1.4 किमी चलकर सार्वजनिक परिवहन की सेवा ली। बुनियादी ढांचे की गुणवत्ता और सेवाओं की आवृत्ति अहम गतिरोध है। इलेक्ट्रिक वाहन के जरिये हालात में सकारात्मक बदलाव लाया जा सकता है।

यदि स्वदेशीकरण पर ध्यान दिया जाए तो वितरित उत्पादन और गतिशीलता में स्थायित्व अधिक काम आएगा। सन 2030 तक इलेक्ट्रिक वाहनों की 30 फीसदी बिक्री के साथ देश के वाहन क्षेत्र में 5.7 फीसदी मूल्यवर्धन होगा। बशर्ते कि 90 फीसदी पावरट्रेन और बैटरी देश में बनें। घरेलू विनिर्माण के बिना इस क्षेत्र का मूल्यवर्धन 8 फीसदी तक गिरेगा।

बैटरी तकनीक में उल्लेखनीय वृद्धि में संभावनाएं निहित हैं। लिथियम आयन बैटरी की कीमतों में 2010 से अब तक 85 फीसदी गिरावट आई है लेकिन कोरियाई, चीनी और जापानी विनिर्माता बाजार पर दबदबा रखते हैं। इस बीच भारत में इसरो, इंडियन ऑयल और टाटा केमिकल्स कम लागत वाली ली-इयॉन अथवा अल्ट्रा लाइट धातु बैटरियों के निर्माण के साथ प्रयोग कर रहे हैं। ये कंपनियां उत्पादन बढ़ाने के लिए संयुक्त उपक्रम की तलाश में हैं। भविष्य में भंडारण उपकरणों की क्षमता 2018 के 24 गीगावॉट प्रति घंटा से बढ़कर 270 से 365 गीगावॉट प्रति घंटे हो सकती है।

स्वच्छ तकनीक का प्रयोग चौथा कारक है। ऊर्जा की मांग का अहम हिस्सा न केवल वितरित बुनियादी और इलेक्ट्रिक परिवहन के लिए होगा बल्कि कूलिंग की आवश्यकता के लिए भी। सन 2038 तक आवासीय, गतिशीलता और वाणिज्यिक क्षेत्र में प्रशीतन और वातानुकूलन आठ गुना बढ़ेगा। इन तमाम क्षेत्रों में निवेश बढ़ेगा। जब सूरज चमकेगा तब आवासीय ऊर्जा की मांग कम हो सकती है। लोड को इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग या कूलिंग से संतुलित किया जा सकता है।

ग्रामीण क्षेत्रों में वितरित ऊर्जा से चलने वाली किफायती मोटर आय बढ़ाने वाले उपक्रम को ऊर्जावान कर सकती हैं। इस बाजार का अनुमानित आकार 53 अरब डॉलर है। वितरित ऊर्जा फर्म पहले ही 3 लाख प्रत्यक्ष रोजगार तैयार कर चुकी हैं। सौर ऊर्जा आधारित सिंचाई में भी वृद्धि हो रही है। व्यवस्थित बनाने पर यह व्यवहार्य भी हो सकती है। ऐसे में अधिशेष बिजली का इस्तेमाल अन्य ग्रामीण उपभोक्ताओं को जोड़ने के लिए किया जा सकता है। इससे किसानों की आय बढ़ेगी।

वितरित ऊर्जा, स्थायित्व भरी गतिशीलता, स्वदेशीकरण (खासकर बैटरी निर्माण में) और एकीकृत स्वच्छ तकनीक हरित अर्थव्यवस्था के नए वाहक हैं। इनमें से हर कारक नए निवेश को आकर्षित करने वाला है। यह सारी प्रक्रिया मूल्यवर्धन और रोजगार तैयार करने वाली है। बोझ बनने के बजाय हरित सुधार अर्थव्यवस्था को जरूरी बचाव मुहैया कर सकती है।

(लेखक कौंसिल ऑन एनर्जी, एनवायरनमेंट ऐंड वाटर के सीईओ हैं)

वायु प्रदूषण से निपटने की खातिर कुछ कदम तत्काल उठाना जरूरी

जमीनी हकीकत

सुनीता नारायण

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में वायु प्रदूषण को लेकर जो आपात स्थिति बनी है, उस सिलसिले में यह मेरा तीसरा आलेख है। सबसे पहले मैंने इस विषय पर चर्चा की कि आखिर अब तक उत्सर्जन कम करने के लिए क्या किया गया है। उसके बाद मैंने संकट की प्रकृति के बारे में लिखा कि आखिर क्यों ठंड के दिनों में प्रदूषण इतना विकराल नजर आता है और हमें इससे निपटने के लिए और कदम क्यों उठाने होंगे? इस बार मैं इस विषय पर बात करना चाहती हूं कि आखिर कौन से कदम तत्काल उठाए जाने की जरूरत है और संकट से निपटने के लिए उन्हें किस पैमाने पर उठाना होगा। मैं इस बारे में लिखना चाहती हूं क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया गया तो हम जिस हवा में सांस लेते हैं, उसकी गुणवत्ता को लेकर नाराज तो होंगे लेकिन उस स्थिति में हम स्वच्छ आकाश और साफ फेफड़े नहीं हासिल कर पाएंगे।

लब्बोलुआब यह कि हमें उस पैमाने पर कड़े कदम उठाने की जरूरत है ताकि इतना बदलाव आ सके कि हम निरंतर बढ़ते प्रदूषण को पछाड़ सकें। जब दिल्ली में कंप्रेस्ड नैचुरल गैस (सीएनजी) का इस्तेमाल शुरू हुआ तो एक-दो साल में ही काफी सुधार हुआ। एक लाख से अधिक सार्वजनिक परिवहन वाले वाहनों को सीएनजी के रूप में स्वच्छ ऊर्जा माध्यम पर स्थानांतरित कर दिया गया। ऐसे में हमारे प्रदूषण के आंकड़ों में भी नाटकीय बदलाव आया। हमें आसमान में तारे देखने को मिले। बीते तीन सालों में अहम कदम उठाए गए हैं। दिल्ली में कोयले के इस्तेमाल पर प्रतिबंध से लेकर वाहनों के लिए स्वच्छ ईंधन के इस्तेमाल और ट्रकों से होने वाले प्रदूषण में कमी लाने तक तमाम उपाय किए गए लेकिन ये अपर्याप्त साबित हुए।

प्रश्न यह है कि आगे हम क्या करेंगे? हमें प्रदूषण के प्रमुख स्रोतों के बारे में पता है। यह प्रमुख तौर पर वाहनों, फैक्टरियों, ताप बिजली घरों, डीजल जेनरेटरों, खुले में कचरा जलाने, धूल आदि से फैलता है। फसल अवशेष जलाए जाने के कारण भी महीने भी तक प्रदूषण का प्रकोप बना रहता है। मौसम में बदलाव आते ही यानी हवा बंद होने और नमी बढ़ने पर इसका असर नजर आने लगता है। हमें यह भी पता है कि प्रदूषण को रोकने के लिए उठाए जाने वाले किसी भी कदम का प्रतिरोध भी होता है। वायु प्रदूषण में योगदान करने वाला हर व्यक्ति कहता है कि समस्या हममें नहीं कहीं और है। तो हम क्या करें?

सबसे पहले, हमें स्वच्छ ऊर्जा को अपनाना होगा। इस मसले पर किसी बहस की गुंजाइश नहीं है। हर कोई कहता है कि पेइचिंग ने अपनी हवा साफ कर ली। उन्होंने इसके लिए यही तरीका अपनाया। पेइचिंग के आम परिवारों को और फैक्टरियों से कहा गया कि वे कोयले की जगह स्वच्छ प्राकृतिक गैस का इस्तेमाल करें। हमें यही करने की जरूरत है। केवल दिल्ली नहीं बल्कि आसपास के जितने भी राज्य खराब मौसम और प्रदूषण से परेशान हैं, वहां यह कदम उठाया जाना चाहिए।

अब वक्त आ गया है कि इस क्षेत्र में गैस को लेकर दूसरा बदलाव लाया जाए। पहली बार वाहनों के लिए सीएनजी व्यवस्था लागू की गई थी, अब उद्योगों, बिजली संयंत्रों और घरों में ऐसा करना होगा। तथ्य तो यह है कि गैस की कीमत उस कोयले से अधिक होती है जिसका इस्तेमाल इस क्षेत्र में अत्यधिक प्रदूषणकारी पेट कोक के स्थान पर किया जाता है। उद्योग जगत का कहना है कि यदि वह गैस को अपनाती है तो वह इस क्षेत्र के बाहर के लोगों के साथ प्रतिस्पर्धी नहीं रह पाएगी। उन्हें बंद करना पड़ेगा। तो आखिर काम कैसे चलेगा? या तो गैस कीमत कम करनी होगी या फिर कीमतों से परे इस उद्योग को बंद होने देना होगा। आगे की राह मुश्किल है। कोई आसान विकल्प नहीं है।

दूसरा हल है उद्योग-धंधों और घरों को व्यक्तिगत बिजली उत्पादन (डीजल जेनरेटर) से बिजली पर स्थानांतरित करना। तीसरा उपाय यह सुनिश्चित करना है कि बिजली का उत्पादन यथासंभव स्वच्छ हो। इस क्षेत्र के बड़े हिस्से में (आप आंकड़ों के बारे में चकित होंगे) अभी भी डीजल से चलने वाले जेनरेटरों का इस्तेमाल जमकर होता है। इसके प्रयोग में अपार्टमेंट्स में रहने वाला समृद्ध तबका भी पीछे नहीं है। इस स्थिति में जल्दी बदलाव लाना होगा। यह न तो आसान है और न ही सहज लेकिन स्वच्छ हवा हासिल करने के लिए यह आवश्यक है।

हमें स्वच्छ बिजली संयंत्रों की भी जरूरत होगी। दिल्ली ने पहले ही अपने कोयला आधारित बिजली संयंत्र बंद कर दिए हैं। हमें अब यह सुनिश्चित करना होगा कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के सभी उत्पादन संयंत्र वर्ष 2015 के सख्त उत्सर्जन मानकों का पालन करते हुए गैस का इस्तेमाल करें या बंद कर दिए जाएं। ऐसा करना आसान नहीं है। इसके अलावा वाहनों की बिक्री को भी सीमित करना होगा। उन्हें अधिक स्वच्छ भी बनाना होगा। हमें यह सब पता है लेकिन इस दिशा में कुछ खास नहीं किया जा रहा है।

फसल अवशेष जलाने की समस्या का भी हल तलाश करना होगा। आदर्श हल तो यही होगा कि फसल अवशेष खासकर धान के अवशेष के लिए बाजार मुहैया कराया जाए ताकि किसान उसे जलाने के बजाय बेचें। एक विकल्प यह भी है कि उन्हें ऐसी मशीन मुहैया कराई जाएं जिसकी मदद से वे उन अवशेष को दोबारा मिट्टी में मिला सकें। हल मौजूद हैं केवल उन्हें अपनाने के तरीके तलाश करने हैं। इन सब बातों के अलावा हमें प्रदूषण के स्थानीय स्रोतों पर भी अंकुश लगाना होगा। इसमें कूड़ा जलाने से लेकर कचरा प्रबंधन तक तमाम चीजें शामिल हैं। इसके लिए प्रवर्तन और व्यवस्थित सुधार की आवश्यकता होगी। हमें कूड़े को अलग-अलग करके उसका प्रबंधन करना होगा। यह बात हम सभी जानते हैं।

सबसे अहम बात, हमें इन सभी मोर्चों पर ठोस और वर्ष लंबी कार्य योजना के साथ काम करना होगा। अभी तक प्रदूषण के बढ़ने पर हुए हो हल्ले के बाद हम अगले जाड़े तक शांत हो जाते हैं। ऐसे काम नहीं चलेगा। दिल्ली की हवा को साफ करना सालाना कवायद नहीं बननी चाहिए। इसलिए क्योंकि इसका रिश्ता हमारे स्वास्थ्य और सांस लेने के हमारे अधिकार से है।

कानाफूसी

मध्य प्रदेश में फिर से नई जांच

मध्य प्रदेश सरकार का वन विभाग भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हुए पौधरोपण घोटाले को लेकर एक बार फिर नई जांच शुरू करने जा रहा है। जुलाई 2017 में नर्मदा तट पर एक दिन में रिकॉर्ड 7 करोड़ पौधे लगाने का अभियान छेड़ा गया था। मौजूदा कांग्रेस सरकार के वनमंत्री उमंग सिंघार का आरोप है कि तत्कालीन सरकार में शामिल लोगों ने इस दौरान व्यवस्थित तरीके से शासकीय धन की हेराफेरी की। वन विभाग ने जांच के बाद कहा था कि पौधरोपण के आंकड़ों को बहुत अधिक बढ़ाचढ़ाकर पेश किया गया और हकीकत में यह आंकड़ा बहुत कम था। अब सरकार एक नई जांच के द्वारा यह आकलन करने का प्रयास कर रही है कि राज्य की नर्सरियों में इतने पौधे देने की क्षमता थी भी या नहीं।

बाहर का रास्ता

बहुजन समाज पार्टी (बसपा) ने कुछ वरिष्ठ नेताओं को अनुशासनहीनता और पार्टी हित के खिलाफ काम करने का आरोप लगाकर पार्टी से बाहर निकाल दिया है। इन नेताओं में पूर्व मंत्री और विधायक भी शामिल हैं। इनमें से कई ऐसे भी हैं जिन्होंने मई 2019 के लोकसभा चुनाव और कुछ दिन पहले हुए विधानसभा उपचुनाव में भी शिरकत की थी लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा। पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने अपने विश्वसनीय सहयोगी और लखनऊ की मोहनलालगंज लोकसभा सीट से प्रत्याशी रहे सी एल वर्मा को भी बाहर का रास्ता दिखा दिया है। वर्मा को भाजपा के कौशल किशोर के हाथों हार का सामना करना पड़ा था। दिलचस्प बात है कि वर्मा उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी के भी करीबी हैं। नसीम भी पहले मायावती के सच्चे अनुयायी थे लेकिन बाद में वह कांग्रेस में शामिल हो गए।

आपका पक्ष

न्याय व्यवस्था में हो ठोस सुधार

अदालतों में मुकदमों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। यह विभिन्न विसंगतियों को जन्म दे रहा है। राष्ट्रीय अदालत प्रबंधन की रिपोर्ट के मुताबिक बीते तीन दशकों में मुकदमों की संख्या दोगुनी तेजी से बढ़ी है। अगर यही स्थिति बनी रही तो अगले 30 वर्षों में देश की विभिन्न अदालतों में लंबित मुकदमों की संख्या करीब 15 करोड़ तक पहुंच जाएगी। आजादी के बाद से अदालतों और न्यायाधीशों की संख्या आबादी के बढ़ते अनुपात के मुताबिक कभी भी कदमताल नहीं कर पाई है। इस वजह से न्याय के नैसर्गिक सिद्धांत के मुताबिक न्यायपालिका में भी मांग और आपूर्ति के बीच संतुलन कायम नहीं हो सका है। विधि आयोग ने वर्ष 1987 में कहा था कि 10 लाख लोगों पर कम से कम 50 न्यायाधीश होने चाहिए। लेकिन आज भी 10 लाख लोगों पर न्यायाधीशों की संख्या तकरीबन 15 से 20 है। कहते हैं कि दुश्मनों को भी अस्पताल और कचहरी का मुंह नहीं देखना पड़े। यह इसलिए कहा जाता है क्योंकि दोनों जगह आदमी को तबाह कर देती है और जीतने वाला भी इतने विलंब से न्याय पाता है जो अन्याय के बराबर ही होता है। जमीन के छोटे-छोटे टुकड़े को लेकर पचास-पचास साल मुकदमे चलते हैं। फौजदारी के मामले तो और भी संगीन स्थिति है। अपराध से ज्यादा सजा लोग फैसला आने के पहले ही काट लेते हैं। यह सब केवल इसलिए होता है कि मुकदमों की सुनवाई और फैसले की गति बहुत धीमी है। तमाम विसंगतियों के बाद भी न्यायालयीन प्रक्रिया के प्रति आम लोगों का बढ़ता विश्वास कुछ इस वजह से भी है कि आम लोगों में विश्वास बहाली के लिए जो कार्य कार्यपालिका को करना चाहिए था वह न्यायालय को करना पड़ा है। पिछले कुछ वर्षों में नेताओं की स्वेच्छाचारिता और गुंडों से उनकी सांठ-गांठ पर चुनाव आयोग और न्यायालय ने मिलकर लगाम कसने की जो सार्थक कोशिश की है, उससे भी आम लोगों का उस पर भरोसा बढ़ा है। अब वक्त आ गया है कि न्याय के लिए न्याय व्यवस्था में ठोस सुधार किया जाए।

अनु मिश्रा, सीवान

एक रिपोर्ट के मुताबिक तीन दशकों में मुकदमों की संख्या दोगुनी तेजी से बढ़ी है

उपक्रमों का विनिवेश सही कदम

केंद्र सरकार घाटे में चल रही सार्वजनिक कंपनियों के विनिवेश की प्रक्रिया को तेज करने की तैयारी कर रही है। सरकार इन कंपनियों की हिस्सेदारी बेचकर नकदी जुटाना चाहती है जिससे घाटे में चल रही इन कंपनियों को उबारा जा सके। सरकार ने पहले से ही रणनीति बिक्री के लिए लगभग 35 उपक्रमों की पहचान की है। इनमें एयर इंडिया, बीपीसीएल और प्रमुख इस्पात कंपनी सेल की भद्रावती और दुर्गापुर इकाइयां शामिल हैं। केंद्रीय उपक्रमों में हिंदुस्तान फ्लोरोकार्बन, हिंदुस्तान न्यूजप्रिंट, एचएलएल लाइफकेयर, सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स ऐंड इंडिया और सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया तथा आईटीसी इकाइयों में हिस्सेदारी की बिक्री की मंजूरी मिल चुकी है। इन उपक्रमों की बिक्री में बेहतर प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए सभी परिसंपत्तियों की उचित देखभाल सुनिश्चित करने को कहा गया है। सरकार का यह कदम राजस्व घाटे को कम करना है तथा इन कंपनियों को सुचारु रूप से चलाने की दिशा में एक प्रयास है।

दीप कुमार, महाराजगंज

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिजनेस स्टैंडर्ड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली - 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in उस जगह का उल्लेख अवश्य करें, जहां से आप ईमेल कर रहे हैं।